उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 104-जी/रा०वि०प०-का-एक-80ए/1973 दिनांक: जनवरी 9, 1985.

विषय :— परिषदीय सेवकों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा दिया जाना।

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अवकाश नकदीकरण सम्बन्धी अब तक निर्गत समस्त परिषदादेशों को निरस्त करते हुए विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त परिषद ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अब से निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगी :—

[क] दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से प्रवृत्त, पुनरीक्षित वेतनमानों में रुपये 1400/—प्रतिमास अथवा उससे कम वेतन पाने वाले परिषदीय सेवकों को तीस दिन तथा रुपये 1400/—प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले परिषदीय सेवकों को पन्द्रह दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा, अवकाश के वास्तविक उपभोग के बिना, अवकाश के अभ्यर्पण के पश्चात अभ्यर्पण के दिनांक को सम्बन्धित परिषदीय सेवक के अवकाश लेखे में कम से कम साठ दिन का अर्जित अवकाश अनिवार्यतः शेष रहने पर अनुमन्य होगी।

[ख] अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये सम्बन्धित सेवक को अवकाश-वेतन, प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता/वेतन, महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता, विशेष भत्ता तथा नगर प्रतिकर/परियोजना स्थल प्रतिकर भत्ता उसी दर पर देय होगा जो उसे अभ्यर्पण के दिनांक से यथा प्रयोज्य 15 अथवा 30 दिन का अर्जित अवकाश वस्तुतः उपभोग करने की स्थिति में अनुमन्य होता किन्तु उसे कोई मकान किराया भत्ता तथा पर्वतीय विकास भत्ता देय न होगा। यह धनराशि सम्पूर्ण-रूप से देय होगी और इसमें से भविष्य-निधि, अग्रिम, मकान किराये, सहकारी समितियों के देयों आदि के सम्बन्ध में कोई भी कटौती नहीं की जायेगी।

[ग] अवकाशनकदीकरण की सुविधा की पात्रता के लिये मात्र मूल नियम 9(21) [एक] में परिभाषित मूल वेतन को ही ध्यान में रखा जायेगा तथा अन्य वेतनों को उपेक्षित कर दिया जायेगा।

[घ] अभ्यर्पित अवकाश तथा उसी के साथ/क्रम में वास्तविक उपभोग हेतु लिया जाने वाला उपार्जित अवकाश/औसत-वेतन पर अवकाश, जैसी भी स्थिति हो, का योग किसी एक समय में परिषदीय सेवक को देय कुल अर्जित अवकाश अथवा एक सौ बीस दिन, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा। जब भी कोई सेवक अवकाश नकदीकरण अथवा उसके साथ/क्रम में उपार्जित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश लेना चाहेगा तो उसे उक्त आशय हेतु निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन करना होगा।

*[ङ०] औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी ही नकदीकरण हेतु अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण को स्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे। समस्त सेवकों द्वारा नकदीकरण विषयक अपने आवेदन-पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि किस दिनांक को अवकाश अभ्यर्पित किया जाना अपेक्षित है और तदनुसार उसी दिनांक को अवकाश अभ्यर्पित माना जायेगा जिसका स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी

*परिषदाज्ञा संख्या 381-जी/रा०वि०प०-का-एक-80ए/1973, दिनांक 13 फरवरी 1985 द्वारा संशोधित

Scanned with CamScanner

द्वारा अवकाश स्वीकृति आदेश में किया जायेगा । परिषदीय सेवकके अवकाश लेखे में से अभ्यर्पण के दिनांक को यथा प्रयोज्य अवधि का अर्जित अवकाश कम कर दिया जायेगा और अवकाश लेखे में इस आशय की अभ्युक्ति अंकित कर दी जायेगी कि यह कमी सेवक द्वारा अवकाश अभ्यर्पण के फलस्वरुप की गई है ।

[च] अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा एक कलेण्डर वर्ष में केवल एक ही बार अनुमन्य होगी, परन्तु जिन मामलों में पुराने आदेशों के अन्तर्गत चालू कलेण्डर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा का उपभोग कर लिया गया हो (भले ही उपभोग वित्तीय वर्ष के दृष्टिकोण से गर्गीकृत किया गया हो) ऐसे मामलों में उन आदेशों के अन्तर्गत चालू कलेण्डर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा पुनः अनुमन्य नहीं होगी ।

[छ] यह सुनिश्चित करने के लिये कि अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि अवकाश लेखे में कर दी गई है, जहाँ तक अराजपत्रित सेवकों का सम्बन्ध है, अभ्यर्पित अवकाश से सम्बन्धित वेतन के आहरण के समय उनकी सेवा पुस्तिकाओं तथा उनके अवकाश लेखों में अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण अनिवार्यतः अंकित कर दिया जायेगा । अभ्यर्पित अवकाश से सम्बन्धित अवकाश वेतन आहरित करते समय वेतन-वितरण अधिकारी द्वारा उस बिल में जिसमें अवकाश वेतन-आहरित किया जाता है, इस आशय का एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि उक्त प्रकार से आवश्यक प्रविष्टियाँ सेवा-पुस्तिकाओं तथा अवकाश लेखों में अंकित कर दी गई हैं ।

[ज] अराजपत्रित सेवकों को अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये अवकाश-वेतन तथा भत्तों का भुगतान अवकाश अभ्यर्पण के दिनांक के तुरन्त बाद कर दिया जायेगा । जहाँ तक राजपत्रित अधिकारियों का सम्बन्ध है, वे इस सम्बन्ध में भी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अनुच्छेद 249 [बाई] के अधीन अग्रिम उसी प्रकार आहरित कर सकेंगे जैसा कि वे एक सौ तीस दिन तक के अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में कर सकते हैं ।

[झ] अर्जित अवकाश के नकदीकरण की यह सुविधा परिषद में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवकों को भी विद्यमान शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों एवं दशाओं में अवकाशादि के विषय के लिये कोई अन्यथा/विपरीत व्यवस्था निर्धारित न हो ।

[ञ] यह सुविधा उन समस्त परिषदीय सेवकों को भी अनुमन्य होगी जो परिषदेतर भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्यत्र वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, प्रति-बन्ध यह है कि उनकी प्रतिनियुक्ति अथवा वाह्यसेवा की शर्तों एवं दशाओं में अवकाश आदि के सम्बन्ध में इससे विपरीत अथवा अन्यथा प्राविधान विद्यमान न हो ।

[ट] अवकाश अभ्यर्पण की सुविधा ऐसे मामलों में अनुमन्य नहीं होगी जबकि सम्बन्धित परिषदीय सेवकों के सेवा निवृत्त होने में एक माह/तीस दिन से कम अवधि शेष रह गई हो किन्तु परिषदीय सेवक की मृत्यु की दशा में परिषदादेशांक 2381-जी/रा० वि० प०-एक-230ए/1966, दिनांक 24 दिसम्बर, 1979 सपठित आदेश संख्या 3683-जी/ रा० वि० प०-एक-230ए/1966, दिनांक 1/2 फरवरी, 1934 में वर्णित व्यवस्था अनुसार अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान अनुमन्य होगा ।

[ठ] अवकाश नकदीकरण की सुविधा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 86 तथा 86ए के अधीन अस्वीकृत अवकाश के सम्बन्ध में अनुमन्य नहीं होगी ।

Scanned with CamScanner

[ड] यदि कोई सेवक किसी ऐसी अवधि का अवकाश नकदीकरण आवेदित करता है जिसमें अवकाश की अवधि का विस्तार दो कैलेण्डर वर्षों में हो तो ऐसी स्थिति में प्रश्नगत अवकाश नकदीकरण को उसी कैलेण्डर वर्ष में माना जायेगा जिस कैलेण्डर वर्ष में अवकाशावधि की प्रारम्भिक तिथि पड़ेगी।

[ढ] ऐसे परिषदीय सेवकों के सम्बन्ध में, जिनके वेतनमान अभी तक अपुनरीक्षित हैं अथवा जिन्होंने पुराने वेतनमान ही चुनने का विकल्प दे रखा है, अवकाश नकदीकरण की अनुमन्यता हेतु उनके मूल वेतन में दिनांक 1 अप्रैल, 1979 को अनुमन्य तत्कालीन मँहगाई भत्ता/अतिरिक्त मँहगाई भत्ता जोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार से आगणित वेतन के आधार पर ही उन्हें यथाप्रयोज्य 15 अथवा 30 दिनों के अवकाश के नकदीकरण की सुविधा स्वीकृत की जायेगी।

[ण] समस्त परिषदीय सेवकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी कि यदि वे चाहें तो इस प्रकार से अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में प्राप्त धनराशि को अपने भविष्यनिधि खाते में जमा कर दें परन्तु जहाँ सम्बन्धित भविष्य निधि अंशदायी प्रकृति की होगी वहाँ इस जमा धनराशि पर किसी प्रकार के परिषदीय अँशदान का कोई हक नही होगा।

2— ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें तथापि जिन मामलों में इन आदेशों के निर्गतन की तिथि तक अवकाश स्वीकृति के आदेश पुरानी अवकाश नकदीकरण व्यवस्था के आधार पर निर्गत किये जा चुके हैं, उनको किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा और जिन सेवकों के आवेदन पुरानी व्यवस्थानुसार स्वीकृति हेतु पहले से विचाराधीन है, उनको पुराने आदेशों के अनुसार भी निस्तारित किया जा सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे सेवकों को कैलेण्डर वर्ष 1985 में दोबारा अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अवकाश नकदीकरण के आवेदनार्थ नवीन संशोधित प्रारूप संलग्न है।

परिषद की आज्ञा से,
उपदेश बहादुर माथुर
सचिव।

संलग्नक: यथोपरि

संख्या: 104-जी [1]/रा०वि०प०—का—एक—80ए/1973

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त मुख्य अभियन्ता/महा प्रबन्धक, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद।
2— समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/मुख्य परियोजना प्रबन्धक/अपर मुख्य अभियन्ता/उप महा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद।
3— अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
4— समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद।
5— समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद।
6— मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी [वेतन एवं लेखा] उ० प्र० रा० वि० प० शक्ति भवन, लखनऊ।
7— परिषद मुख्यालय स्थित समस्त अधिकारीगण/अनुभाग/निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक।

Scanned with CamScanner

8— बैठक पत्रावली, प्रस्ताव संख्या एक (2)/1985

9—पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता) उ०प्र०रा०वि०प० शक्ति भवन, लखनऊ।

10—पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) हाइब्रिड सेल 12, बेनी प्रसाद रोड, लालबाग, लखनऊ।

संलग्नक : यथोपरि

आज्ञा से
रामेश्वर प्रसाद भार्गव
उप सचिव।

Scanned with CamScanner